फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 72/2024(प्रा0पत्र) शीर्षक शिवचरणसिंह व अन्य बनाम भंवरसिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
27.06.2024	प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया। पत्रावली बाद जांच पेश हुई प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आवश्यक प्रकृति का प्रकरण होने से इसमें आज ही सुनवाई की जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें इस बाबत् मूल वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट भी पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी संक्षिप्त बहस में बताया कि राजस्व ग्राम लसानी, पटवार हल्का लसानी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 479 खसरा संख्या 1205,1206, 1925/3545 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 संयुक्त खातेदार है। इस कृषि आराजियात में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 सामलाती खातेदार है भूमि वर्तमान में अविभाजित होकर सामलती दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा भूमि का विधिवत विभाजन कराने हेतु आप न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 बिना विभाजन कराये मौके पर तारबंदी एवं निर्माण कार्य करना चाह रहे है जिनका उनको कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 किसी भी वक्त मौका पाकर वादग्रस्त आराजियात पर तारबन्दी कर सकते है यदि अप्रार्थीगण द्वारा तारबन्दी कर दी जाती है तो प्रार्थीगण का वाद पत्र प्रस्तुत करने का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। जब तक भूमि का विधिवत विभाजन नहीं हो जावे तब तक अप्रार्थीगणों को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद किया जावे। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो प्रथम दृष्टया, सुविधा संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण संख्या 01 से 05 के विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम लसानी, पटवार हल्का लसानी, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 479 खसरा संख्या 1205,1206, 1925/3545 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6400 हैक्टेयर भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की वर्तमान स्थिति बनाये रखने के आदेश दिए जाते है। अप्रार्थी संख्या 01 से 04 उक्त भूमि को रहन बय, विक्रय, हस्तानान्तरण, अन्तरीत नहीं करे व मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, तारबन्दी नहीं करे एवं भूमि के भौतिक स्वरूप में परिवर्तन नहीं करे तथा राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अप्रार्थी संख्या 05 वादग्रस्त भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अधिवक्ता प्रार्थीगण आदेश 39 नियम 03 की पालना करें। प्रार्थीगण अधिवक्ता हुक्म इम्तदाई के नोटिस मय नकल के पेश करें। पत्रावली दिनांक 24/07/2024 को पेश हो। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द	

24/7/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 लेड को जारी सम्मन मय … बाद तामिल हो, शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 01 स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगवाई गई किन्तु प्रतिवादी संख्या 02, 03, 04 उपस्थित नहीं हुए। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21/8/24 को पेश हो।

21/08/2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/09/2024
.................को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

25/09/2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 05/11/2024
.................को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

05/11/2024

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित।
आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण
अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी
दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई।
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 24/12/2024
.... को पेश हो।

हस्ताक्षर रीडर
(न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)

24/12/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02, 03, 04 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। प्रकरण में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी दिनांक तक बढ़ाई जाती है। पत्रावली वास्ते इंतजार जवाब दिनांक 24/01/25 को पेश हो।

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 72/2024 शीर्षक शिवचरण व अन्य बनाम भंवर सिंह व अन्य

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
	24/01/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3, 4 बावजूद सूचना तामील के अनुपस्थित। बार-बार आवाजें लगवाई गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03, 04 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रकरण में पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि ग्राम लसानी की आराजी संख्या 1205, 1206, 1925/3545 कुल किता 03 कुल रकबा 1.6400 हेक्टेयर भूमि की मूल वाद के निस्तारण तक वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम की जावे। सहायक कलेक्टर देवगढ़, जिला-राजसमन्द	